76

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1424–एक/2015 – विरूद्व आदेश दिनांक 04–01–2014 – पारित व्दारा अतिरिक्त आयुक्त,भोपाल संभाग,भोपाल – प्रकरण कमांक 395/2010–11 अपील

विशाल सिंह पुत्र खुमान सिंह राजपूत
ग्राम बुखारा तहसील कुरवाई जिला विदिशा ----आवेदक

विरूद्व

1– अख्तर मोहम्मद बल्द सगीर मोहम्मद
2– नईमा बी बल्द सगीर मोहम्मद
3– हनीफा बी पत्नि अवसर मोहम्मद
4– असमी बी पुत्री अवसर मोहम्मद
5– आसिम मोहम्मद पुत्र अवसर मोहम्मद अल्पवयस्क
6– रूमान मोहम्मद पुत्र अवसर मोहम्मद अल्पवयस्क
संरक्षक मॉ हनीफा बी पत्नि अवसर मोहम्मद
सभी ग्राम कुरवाई जिला विदिशा मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रेम सिंह ठाकुर)

(अनावेदकगण की ओर से श्री नौशाद खान अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक ३ –११ – 2016 को पारित)

यह निगरानी अतिरिक्त आयुक्त,भोपाल संभाग,भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 395/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–1–14 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार कुरवाई को आवेदन देकर बताया कि ग्राम बुखारा स्थित कुल किता 3 कुल रकबा 0.823 हैक्टर भूमि में उनका हिस्सा 3/5 रकबा 0.502 हैक्टर है जिसके संबंध में एक दीवानी वाद कमांक 98/99 ई.दी. में आदेश दिनांक 5-9-97 से हिस्सा 3/5 रकबा 0.502 हैक्टर की डिकी पारित हुई है। डिकी के आधार पर सिविल जज वर्ग-1 कुरवाई में इजरा प्रस्तुत कर आदेश अनुसार दिनांक 12-10-06 को कब्जा प्राप्त कर लिया है जिसके कारण आवेदक का उक्त भूमि पर स्वत्व नहीं रहा है । अतः इस भूमि पर नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार कुरवाई ने इस पर प्रकरण कमांक 57/14715 अ-6 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 30-8-2010 पारित करके अनावेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के समक्ष अपील कमांक 74/2009-10 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 21-2-11 से अपील निरस्त की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील कमांक 396/10-11 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 4-1-14 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा तहसीलदार कुरवाई की ओर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि न्यायालय की डिकी के पालन में विकय पत्र के कम में हुई कार्यवाही के संबंध में विधिसंगत आदेश पारित किया जाय। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा लेखी बहस प्रस्तुत की गई है। लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने तहसीलदार कुरवाई के आदेश दिनांक 30-8-2010 एंव अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के आदेश दिनांक 21-2-11 को इस आधार पर निरस्त किया है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कुरवाई के व्यवहार वाद कमांक 98 ए/89 में पारित डिकी में अंकित अनुसार जब प्रतिवदी कमांक 1 के व्दारा प्रतिवादी कमांक 5 के हक में जो विकय पत्र दिनांक

20-5-80 को संपादित हुआ है वह वादीगण के हिस्सा 3/5 तक प्रभाव शून्य होकर बेअसर है एंव 0.836 हैक्टर भूमि का कब्जा सौंपे जाने के आदेश हैं और विक्रय पत्र के आधार पर किया गया नामान्तरण व्यवहार न्यायालय के आदेश से शून्य हो गया है तब तहसीलदार का दायित्व था कि वह संपूर्ण स्थिति जॉच कर निर्णय लेते, किन्तु उनके व्दारा सरसरी तौर पर अनावेदकगण के आवेदन में अंकित तथ्यों के आधार पर आवेदन निरस्त करने में भूल की है एंव अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई ने भी आदेश दिनांक 21-2-11 पारित करते समय वास्तविक स्थिति नहीं समझी है जिसके कारण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने अपील क्रमांक 396/10-11 में पारित आदेश दिनांक 4-1-14 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार कुरवाई की ओर विधिसंगत कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता। अपर आयुक्त के आदेशानुक्रम में तहसीलदार व्दारा उभय पक्ष की सुनवाई की जावेगी, जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का आदेश दिनांक 4-1-14 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अमान्य की जाती है एंव अतिरिक्त आयुक्त,भोपाल संभाग,भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 395/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-1-14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर